निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 52 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग लक्सर(हरिद्वार), द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग लक्सर(हरिद्वार),के माह 02/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सन्हा,सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी,एवं श्री संजीव कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16/11/2017 से 23/11/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अ धकारी के अंशका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

(ii) <u>परिचयात्मकः</u> प्रथम लेखा परीक्षा है।

(iii) (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग लक्सर(हरिद्वार) के अंतर्गत लक्सर वधान सभा क्षेत्र, मंगलौर वधानसभा क्षेत्र एवं ज्वालापुर वधान सभा क्षेत्र (आं शक) के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य

(iv) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			आयोजनेत्तर		आयोजनागत	
	मु.शीर्ष	स्थापना लाख	गैर स्थापना लाख	आवंटन लाख	व्यय लाख	आवंटन लाख	व्यय लाख
14-15	शून्य						
15-16	5054 3054 2059 8443	-	-	 10.00 223.68	 10.00 94.00	705.10 4.00	705.092 4.00
16-17	5054 3059	-	-	 366.78	 366.78	2719.06 84.90	2719.06 84.90

	2054 8443			13.00 164.26	13.00 283.06		
17-18	5054 3054 2059 8443 4059	-	-	 85.88	 84.54	1212.00 286.62 15.00 30.00	682.30 194.47 7.40 0.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16					
2016-17		Nil			
2017-18(10/2017)					

(v) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई "B" श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1.प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष,लोक निर्माण वभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून

2.क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता स्तर-1,लोक निर्माण वभाग,देहरादून

3.अधीक्षण अ भयन्ता, स वल वृत लोक निर्माण वभाग, हरिद्वार

4. अ धशासी अ भयन्ता,निर्माण खण्ड,लोक निर्माण वभाग,लक्सर(हरिद्वार)

(vi) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग लक्सर (हरिद्वार), को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग लक्सर (हरिद्वार), की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 एवं 08/2016 को वस्तृत जांच हेतु एवं जनपद हरिद्वार के लक्सर

वधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शकारपुर एवं लादपुर के मध्य 360 मीटर के Pre Stressed सेतु के कार्य को वस्तृत वश्लेषण हेतु चयनित कया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 06/03/2017 से 10/03/2017 का निरीक्षण कया गया।

खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 08/2016 तथा 09/2017 तक की गई।

फार्म 51: माह 10/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - शून्य

भाग द् वतीय - शून्य

खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2017 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - शून्य

(ख) सामग्री क्रय - शून्य

(ग) नगद परिशोधन - शून्य

(घ) निक्षेप 12,23,388.00

(ङ) भण्डार - शून्य

भाग-II (ब)

प्रस्तर 01: कार्य सम्पादन में 24 माह की देरी के कारण जनपद हरिद्वार में लादपुर एवं शकारपुर के मध्य सोलानी नदी पर 360 मीटर प्री-स्ट्रेड़ आरसीसी सेतु के निर्माण पर हुए व्यय `**2236.53** लाख का लाभ नहीं मलना

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 6745/ **III** (2)/13-23 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक **31** दिसम्बर 2013 के द्वारा जनपद हरिद्वार में लादपुर एवं शकारपुर के मध्य सोलानी नदी पर 360 मीटर प्री-स्ट्रेड़ आरसीसी सेतु के निर्माण के लए `3183.43 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उल्लेखनीय है क उपरोक्त कार्य के प्रथम चरण की स्वीकृति शासनादेश संख्या 4230/ **III** (27) 12-23 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक **01** नवम्बर 2012 के द्वारा `33.00 लाख की स्वीकृति मली थी जिसके अनुपालन में इस कार्य का डज़ाइन एवं डीपीआर का कार्य मे0 टेक्निकल स वसेस देहरादून द्वारा कराया गया था। शासनादेश संख्या 6745/ **III** (2)/13-23 (प्रा0आ0)/2012 दिनांक **31** दिसम्बर 2013 के द्वारा स्वीकृत `3183.43 लाख में सेतु, पंहुच मार्ग एवं सेतु सुरक्षा के कार्य करवाए जाने थे। उपरोक्त कार्य के लए उतनी ही रा श की प्र व धकी मुख्य अ भयन्ता, स्तर-1, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0 व0, देहरादून के द्वारा दिनांक 28 फ़रवरी 2014 को प्रदान की गयी थी।

इस कार्य के लए नि वदा दिनांक 17 जनवरी 2014 को आमंत्रित की गयी थी और इसमे दोनों प्राप्त नि वदा टेक्निकल बीड में सफल हुई थी। टेक्निकल बीड में सफल नि वदा में से मैसर्स दून इन्फ्रास्ट्रक्चर, देहरादून को न्यूनतम नि वदादाता को नि वदा परामर्शी स मति के संस्तुति पर `3125.22 लाख में प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात, 27 मई 2014 को अनुबंध संख्या 02/**SE-** स वल वृत /2014-15 का गठन कया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की ति थ क्रमश: **27** मई 2014 एवं 26 नवम्बर 2015 थी। लेखा परीक्षा ति थ तक इस अनुबंध के 35th **RA Bill** (वाउचर संख्या 02 दिनांक 08 जून 2017) के अनुसार **agreemented** लागत `3125.22 लाख के सापेक्ष `**2236.53** लाख की रा श का कार्य हुआ था। इस कार्य से संबन्धित अ भलेखों के जांच में यह अवलो कत हुआ क निर्धारित समापन ति थ (नवम्बर 2015) के 24 माह पश्चात भी सेतु का कार्य अपूर्ण है जब क ठेकेदार को 31 मार्च 2017 तक समय-वृद् ध प्रदान की गयी थी जो क जीपीडबल्यू-9 के **clause 4.5** के बिन्दु-2 पर

उल्ले खत आठ शर्तो के अधीन नहीं थी। पुनः मा सक प्रगति प्रतिवेदन (अक्तूबर 2017) के यह पाया गया क कार्य की भौतिक एवं वत्तीय प्रगति क्रमश 75 प्रतिशत एवं 71 प्रतिशत है।

कार्य पूर्ण होने में देरी के कारण के संबंध में बतलाया गया क ग्रामीणो द्वारा समरेखन ववाद, वर्षाकाल में नदी में बाढ़ आने तथा भू म- ववाद के कारण कार्य बन्द रहा था। खंड द्वारा यह भी अवगत कराया गया क खनन बन्द होने के कारण भी कार्य समय से पूर्ण नहीं हो सका था।

खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यों क सेतु का निर्माण नदी पर ही कया जाना था और वर्षाकाल में नदी में ही बाढ़ का पानी भी आएगा। कार्य के निर्धारित अव ध में दो वर्षाकाल का होना भी निश्चित था। पुनः यह कहना क, भू म- ववाद के कारण कार्य में देरी हुई, का तर्क भी अनु चत है क्यों क कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही भू म संबंधी ववाद का निराकरन हो जाना चाहिए था। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है क उत्तराखंड में खनन केवल चार माह के लए ही प्रतिबं धत की गयी थी।

इस प्रकार, वभागीय श थलता के कारण समय से कार्य पूर्ण न होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 2-ब

प्रस्तर 2- रुपए 3,41,585.00 रॉयल्टी की धनराशि की वसूली न किया जाना

वित्तीय नियमानुसार विभागीय प्राप्तियों को यथाशीघ्र संबन्धित एजेंसियों,ठेकेदारों एवं अन्यों से प्राप्ति कर संबन्धित शासकीय लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग लक्सर (हरिद्वार) के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि खंड द्वारा भुगतान किए तीन देयकों मे रॉयल्टी की धनराशि की गणना तो की गई थी, किन्तु उक्त देयकों से रॉयल्टी की धनराशि नहीं काटी गई थी उक्त की ओर लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा लेखा परीक्षा को अवगत कराया गया की जांच उपरांत लेखा परीक्षा को अवगत काराया जाएगा। खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि खंड को किसी भी तरह का भुगतान करने से पूर्व शासकीय हितों को ध्यान में रखते हुए प्राप्तियों की वसूली किया जाना था साथ ही देयको के साथ संलग्न रवन्ना भी संपादित किए जा रहे कार्य से संबन्धित नहीं थे।

अतः रुपए 3,41,585 की रॉयल्टी की वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

STAN

प्रस्तर-(1) :- ` 164.49 लाख की रा श के व्यय के बावजूद तकनीकी स्वीकृति के सापेक्ष कम लंबाई में मार्ग का निर्माण कया जाना

शासनादेश संख्या 18/ II(2)/14-15 (प्रा0आ0)/2013 दिनांक **3** जनवरी 2014 के द्वारा 04 कलोमीटर लंबाई में मार्ग निर्माण हेतु `187.42 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्तमान में मार्ग के प्रारम्भिक भाग चैनज 0.00 कमी से 0.525 कमी का निर्माण अन्य वभाग द्वारा कया गया था जब क अंतिम भाग 2.725 से 4.00 कमी में मार्ग का निर्माण खंड द्वारा अन्य योजनाओ के द्वारा कराया गया था। इस प्रकार, शेष भाग चैनेज 0.525 कमी से 2.725 कमी में 2.200 कमी के साथ 600 मीटर के लंक चैनेज में भी मार्ग का निर्माण कया जाना प्रस्ता वत था और इसी आधार पर अधीक्षण अ भयंता, स वल वृत, लो0नि0 व0, हरिद्वार के द्वारा वत्तीय रूप से स्वीकृत चार कलोमीटर लंबाई में मार्ग निर्माण के सापेक्ष 2.200 कलोमीटर एवं उतनी ही रा श की प्र व धकी स्वीकृति के द्वारा प्रदान (20 जून 2014) की गयी थी।

इस कार्य के लए नि वदा 3 फ़रवरी 2014 को आमंत्रित की गयी थी जिसके टेक्निकल बीड में दो नि वदा सफल हुई थी। टेक्निकल बीड में सफल मैसर्स एस0 के0 मश्रा, देहरादून (28 मई 2014) को न्यूनतम नि वदादाता होने के कारण नि वदा परामर्शी स मति के संस्तुति के आधार पर `156.13 लाख में प्रदान की गयी थी जो स्वीकृत आगणन से 0.30 प्रतिशत कम थी। कार्य सम्पादन के लए अधीक्षण अ भयन्ता के स्तर से 30 जुलाई 2014 को अनुबंध संख्या 08/**SE-** स वल वृत /2014-15 का गठन कया गया था। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की ति थ क्रमश: **27** अगस्त 2014 एवं 26 अगस्त 2015 थी। वर्तमान में इस अनुबंध के 4th एवं अंतिम देयक (वाउचर संख्या 37दिनांक27 अगस्त 2017) के अनुसार **contracted** लागत `164.49 लाख की रा श का कार्य हुआ था। इस कार्य व भन्न अ भलेखों यथा प्राक्कलन, अनुबंध अंतिम देयक एवं माप-पुस्तिका के जांच से अवगत हुआ क बीसी से कार्य प्राक्क लत 2.200 कलोमीटर के सापेक्ष 1.848 कलोमीटर में पूर्ण हुआ था तथा लंक रोड एवं अन्य आबादी वाले भाग में, उल्लेखनीय है क आबादी वाले मार्ग पर मार्ग का निर्माण अन्य वभाग द्वारा कया गया था जिसकी लम्बाई 726 मीटर (600 मीटर+ 126

मीटर) थी, पर कार्य सीसी, जैसा क खंड के उत्तर से परिल क्षत है, से संपादित की गयी थी। इस प्रकार, 2.800 कमी[1] लम्बाई के सापेक्ष 0.226 कमी मार्ग का निर्माण नहीं कया गया था जो क मार्ग के तकनीकी स्वीकृति के अनुसार संपादित नहीं कराई गयी थी। पुनः तकनीकी स्वीकृति में 2.800 कमी लम्बाई की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जब क कार्य की लागत 4.00 कमी के लए वांछित वत्तीय स्वीकृति के अनुरूप ही रखी गयी थी

उपरोक्त को इं गत कए जाने पर खंड द्वारा बतलाया गया क मार्ग पर कुछ स्थानो पर अत्या धक्य जल-भराव की समस्या के कारण आबादी भाग में एवं लंक रोड पर सीसी मार्ग का निर्माण कराया गया था जिसकी स्वीकृति एक एवं पु लयो का निर्माण कराया गया। वचलन एवं अतिरिक्त मद सक्षम अ धकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर लया गया है।

खंड का उत्तर के बावजूद यह निष्कर्ष निकला है क 226 मीटर में मार्ग का निर्माण नहीं कया गए थे। पुनः खंड द्वारा मार्ग की लम्बाई कम कए जाने के बावजूद तकनीकी स्वीकृति में रा श कम नहीं कए जाने के प्रकरण पर कोई उत्तर नहीं दिया गया था। खण्ड का यह भी कहना क आबादी वाले भाग (0.126 कमी.) में CC से निर्माण कार्य कराया गया था, तथ्य से परे लगता है क्यों क मार्ग से संबं धत प्रतिवेदन में यह उल्ले खत है क आबादी वाले भाग पर मार्ग का निर्माण अन्य वभाग द्वारा कया गया था।

[1] 2.800 कमी. - 1.848 कमी. = 0.726 कमी.
2.800 कमी. - 2.574 = 0.226 कमी.

प्रस्तर 2 :- खंड स्थापना के समय प्रांतीय खंड, हरिद्वार एवं निर्माण खंड, रुड़की से स्थानांतरित कार्य का अपूर्ण रहना - 377.05 लाख

निर्माण खंड, लक्सर की स्थापना 23 सतम्बर 2015 को हुई थी और इस क्रम में प्रांतीय खंड, हरिद्वार एवं निर्माण खंड, रुड़की के कार्य क्षेत्र से राज्य योजना एवं जिला योजना की क्रमश: 126 एवं 166 कार्य निर्माण खंड, लक्सर को स्थानांतरित कए गए थे। जिसमे से राज्य योजना एवं जिला योजना की क्रमश: 26 एवं 38 कार्य अभी तक अपूर्ण है जब क राज्य योजना एवं जिला योजना 01 एवं 05 कार्य पर स्थानांतरण के पश्चात अभी तक प्रारम्भ भी नहीं हुई है। राज्य योजना की 26 कार्य, जो क मार्च 2011 एवं जुलाई 2016 के मध्य स्वीकृत की गयी थी, पर मार्च 2017 तक `**2470.00**लाख जिसमे `**377.05** लाख की रा श मार्गो पर व्यय हुई थी तथा `**2193.28** लाख की रा श लाडपुर एवं शकरपुर के मध्य सोलनी नदी पर बनाए जा रहे सेतु पर व्यय हुआ था। इस प्रकार, राज्य योजना की 25 कार्य (सेतु कार्य को छोड़कर) अपूर्ण कार्य पर हुए 377.05 लाख व्यय का लाभ जनसाधारण को नहीं मल सका था।

उपरोक्त को इं गत कए जाने पर खंड द्वारा यह बतलाया गया क धनावटन के अभाव एवं स्थल परिवर्तन के कारण कार्य समय से पूर्ण नहीं कया जा सका था।

स्थल परिवर्तन के बिन्दु पर खंड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यों क कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही भू म संबन्धित मामलो का निराकरन कया जाना आवश्यक होता है जब क धनावटन नहीं होने के कारण मार्गो से संबन्धित 25 कार्य, जिन पर `**377.05** लाख की रा श मार्गो पर व्यय हुई थी और कार्य अपूर्ण के कारण इसका लाभ जनसाधारण को नहीं मल पाया है, के प्रकरण को वभागीय उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग–दो 'अ'	भाग–दो 'ब'
	प्रथम लेखा परीक्षा है।		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

प्रथम लेखा परीक्षा है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण वभाग लक्सर (हरिद्वार), तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   (i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री सतवीर संह यादव	अ धशासी अ भयन्ता 8/10/15 से वर्तमान तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1.श्री हरेन्द्र संह राणा	8/10/2015 से 21/8/2017
1. श्री अतर संह चौहान	22/8/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग लक्सर (हरिद्वार), को इस आशय से प्रे षत है क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑ फस-कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक क्षेत्र-2